

श्रीमान जी,



निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

69/28.6.18

2019/00127

प्रार्थी श्री जगदीश पुत्र रामजी जाति बावरी निवासी 1डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पत्र, मूल रसीद आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री रामजी पुत्र श्री जेसा राम जाति बावरी निवासी 1डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने वसीयत दिनांक 18.06.2012 को करवाई थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 01.03.2019 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 18.06.2012 को करवायी गयी बंद वसीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान श्री रावताराम पुत्र रामलाल एवं श्री इन्द्राज पुत्र रामबक्श ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान श्री दिनेश कुमार, श्रीगंगानगर द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

जिला पंजीयक महोदय

पंजीयक  
28/6/18